to the people on marriage ceremonies etc.

(b) if so, what is the procedure followed in this behalf;

(c) whether heavy amount of security money is charged per cylinder than the usual amount charged in case of loss of a cylinder;

(d) if so, the reasons therefor and the details of corrective steps taken; and

(e) the amount charged towards security of cylinders on marriages and in the event of the cylinders being lost by consumers.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPTAIN SATISH SHARMA): (a) and (b) Yes, Sir. Indian Oil Corporation parasuits the issue of additional LPG cylinders to the existing consumers for the purpose of marriage in their family on their written request enclosing marriage invitation cards. However, for religious, political and sports functions, LPG cylinders are released by Indian Oil Corporation with the approval from the Government.

(c) and (d) Domestic LPG cylinders of 14.2 Kgs. are supplied to the consumers under normal domestic supplies against a security of Rs. 450. A tariff cost of Rs. 850 is recovered from the consumer for replacement of cylinder due to theft/loss on the basis of police report. In other cases, not supported by police report, penal rate of Rs. 1500/- per cylinder is recovered, to prevent malpractices and diversions of domestic LPG.

(e) In the case of issue of 19 kg. cylinders for marriages, etc., a security amount of Rs. 2000 as applicable for commercial purposes is charged. In the event of loss of such cylinders, a sum of Rs. 2500 per cylinder is recovered from the consumers.

एल०पी०जी० की डिलरशिप और कनेक्शनों के आवंटन के संबंध में सांसदों के पत्र

8024. श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरोला : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एल०पी०जी० की डिलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप और कनेक्शनों के आवंटन के संबंध में सांसदों द्वारा भेजे गए पत्रों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस मामले पर सांसदों द्वारा उन्हें कितने पत्र लिखे गये हैं ; और

(घ) 31 जनवरी, 1995 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत/अस्वीकृत मामलों की स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा). : (क) से (घ) पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप तथा डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन के संबंध में संसद सदस्यों तथा अन्य अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों से प्रत्येक वर्ष में बड़ी संख्या में पत्र तथा सिफारिशें प्राप्त होती हैं । अनुकम्पा आधार पर सरकार की स्वविवेक शक्तियों के अधीन आवंटन करते समय संसद सदस्यों तथा अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सिफारिशें सहित प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है । सांसदों की सिफारिशों के आधार पर संस्तुत मामलों का कोई लेखा जोखा नहीं रखा जाता है । सामान्यतः तौर पर डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप का चयन तेल चयन बोर्डों द्वारा किया जाता है। ये बोर्ड उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायधीश की अध्यक्षता में गठित शक्ति-प्राप्त निकाय हैं तथा दो अन्य सुविख्यात व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं जो ये चयन, उनके समक्ष प्रस्तुत होने वाले अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर करते हैं ।

संसद सदस्यों को प्रायमिकता वाले एल पी जी कनेक्शनों के लिए अपना कोटा दिया गया है तथा प्राथमिकता वाउचर

उन्हें प्रत्येक तिमाही में जारी कर दिए जाते हैं। अन्य तत्काल तथा जरूरतबंद मामलों में भी सांसदों की सिफारिशों पर विचार किया जाता है।

पेट्रोलियम क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने हेतु प्रयास

8025. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंजरोला :**

श्री ईश दत्त यादव :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेट्रोलियम पदार्थों के संबंध में भारत को आत्म-निर्भर बनने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो इस क्षेत्र में आत्म निर्भरता प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ; और

(घ) इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु गत तीन वर्षों में कितनी धनराशि का प्रावधान रखा गया और कितनी धनराशि खर्च हुई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) से (ग) सरकार ने तेल शोधन के क्षेत्र में निजी निवेश की अनुमति दी है। 58.40 मि०मी०ट० प्रतिवर्ष की विद्यमान शोधन क्षमता के प्रति, विद्यमान रिफाइनरियों के विस्तारण/अवरोध दूर करने, की इ०ओ०यू० सहित नयी ग्रास रूट रिफाइनरियों, जे वी सी तथा निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों को स्थापित करने के उपरांत देश में कुल शोधन क्षमता के लगभग 153 मि०मी० ट० प्रति वर्ष की आशा है। यह क्षमता पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी क्योंकि वर्ष 2001–2002 तक पेट्रोलियम उत्पादों की मांग के करीब 102 मि०मी०ट० प्र०व० होने का अनुमान है।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र की शोधन कम्पनियों के संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान वास्तविक व्यय तथा 8वीं योजना के परिव्यय का विवरण निम्नानुसार है :—

(करोड़ रुपए में)

कंपनी का नाम	8वीं योजना का अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय **		
		1992–93	1993–94	1994–95 (अप्रैल–दिसम्बर 1994)
आई०ओ०सी०*	2704.00	374.54	686.90	909.36
एच०पी०सी०एल०*	420.00	187.74	230.41	117.48
बी पी०सी०एलबी०	380.00	56.17	61.95	23.13
एम०आर०एल०	456.00	203.88	102.23	43.72
सी०आर०एल०	836.00	94.93	148.06	57.09
बी०आर०पी०एल०	247.00	45.31	82.30	42.24
एन०आर०एल०	—	—	32.00	86.54

निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों आदि के संबंध में व्यय की जानकारी सरकार द्वारा नहीं की जाती है।

(*) (रिफाइनरी एवं विपणन)

(**) अनंतिम